अशोक कुमार लाल, अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा के अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला–बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

दांडिक अपील क्रमांकः– 11/2025
संस्थित दिनाँक :– 08–04–2025
CIS No. BB030003632025

लवकुश उर्फ दिलीप पाठक पिता क्षमाशंकर, उम्र 27 वर्ष,
निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा, थाना भाटापारा शहर,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

---------**अपीलार्थी**

विरूद्ध

छ०ग०शासन,
द्वारा–जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

---------**उत्तरवादी**

न्यायालय श्रीमती अंकिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, छ.ग. **(जिन्हें आगे चलकर विद्वान विचारण न्यायालय कहकर संबोधित किया जावेगा)** के दांडिक प्रकरण क्रमांक 66/2019 (शासन बनाम लवकुश उर्फ दिलीप पाठक) अंतर्गत धारा 354, 341 भा०दं०संहिता में दिनांक 18/02/2025 को घोषित निर्णय से सद्भूत अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता.

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश यदु ।
उत्तरवादी की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ।

//निर्णय//
(आज दिनाँक 05/08/2026 को घोषित)

01. अपीलार्थी की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय के **दांडिक प्रकरण क्रमांक 66/2019 (शासन बनाम लवकुश उर्फ दिलीप पाठक) अंतर्गत धारा 354, 341 भा०दं०संहिता में दिनांक 18/02/2025 को घोषित निर्णय** जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 354 भा०दं०संहिता में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/–रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 341 भा०दं०संहिता में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 100/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड की राशि नहीं पटाये जाने पर पृथक से उक्त धाराओं में 10–10 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने एवं मूल कारावास से दण्डित सभी सजाये साथ–साथ भुगताये जाने का आदेश दिया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है ।

02. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीड़िता ज्योति कर्ष दिनांक 17/01/2019 की रात्रि 9.00 बजे

काम करके अपनी स्कूटी से घर जा रही थी और बिजली आफिस के पीछे परशुराम वार्ड के पास पहुंची थी, उसी समय वहां पर लवकुश पाठक आया तथा उसकी गाड़ी के पीछे आकर स्कूटी को खींचा तथा उसे आगे जाने से रोक दिया और बेईज्ज़त करने की नियत से उसके हाथ को पकड़ा तब वह जोर से चिल्लाई और हाथ छुड़ाकर जाने लगी, उसी समय वहां उसका भाई प्रदीप कर्ष आया जिसे देखकर लवकुश पाठक भाग गया । यह कि, पीड़िता द्वारा थाना भाटापारा शहर में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर अभियुक्त लवकुश उर्फ दिलीप पाठक के खिलाफ अपराध क्रमांक 30/2019 अंतर्गत धारा 341, 354 भा०दं०संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत विचारण न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और विचारण न्यायालय ने विचारण कर दिनांक 18/02/2025 को पारित निर्णयानुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 354 भा०दं०संहिता में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/–रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 341 भा०दं०संहिता में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 100/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड की राशि नहीं

पटाये जाने पर पृथक से उक्त धाराओं में 10–10 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने एवं मूल कारावास से दण्डित सभी सजाये साथ–साथ भुगताये जाने का आदेश दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर **अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई किः–**

I. यह कि, विचारण न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का सही मूल्यांकन नहीं किया है ।

II. यह कि, पीड़िता की लिखित शिकायत के अनुसार वह स्कूटी से जा रही थी, जिसे आरोपी द्वारा पीछे से आकर खींचना बताया है जबकि कोई व्यक्ति अगर स्कूटी चलाते हुए जा रहा हो और उस गाड़ी को पकड़कर खींचा जाये तथा गाड़ी को रोक दिया जाये तो उस गाड़ी का नहीं गिरना अथवा उस पर सवार व्यक्ति को चोंट नहीं आना अस्वभाविक है ।

III. यह कि, प्रार्थिया एवं गवाहों के न्यायालयीन कथन में आरोपी द्वारा प्रार्थिया की लज्ञाभंग करने के आशय से हाथ

पकड़ना प्रमाणित नहीं किया गया है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज कर विधि की त्रुटि की गई है ।

IV. यह कि, घटना स्थल सार्वजनिक स्थान है और घना बसाहट वाला क्षेत्र है, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है और प्रकरण में अभियोजन द्वारा जितने भी साक्षियों का परीक्षण कराया गया है वह सभी प्रार्थिया के रिश्तेदार होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य का अभाव है ।

V. घटना की वास्तविकता यह है कि प्रार्थिया एवं आरोपी एक दूसरे से प्यार करते थे तथा एक दूसरे से मिलते जुलते थे तथा घटना दिनांक को प्रार्थिया का भाई प्रार्थिया और आरोपी को एक साथ देख लिया था और प्रार्थिया के भाई के द्वारा अभियुक्त के साथ विवाद भी किया गया और प्रार्थिया को दबाव में डालकर अभियुक्त के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई गयी है । फलतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 18/02/2025 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त किया जावे तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे ।

03. उत्तरवादी की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थिया सहित अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप होने से उसे स्थिर रखा जावे ।

04. अपील ज्ञापन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये तथा अपील ज्ञापन, मूल अभिलेख तथा विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/02/2025 का परिशीलन किया गया ।

05. उभयपक्ष के तर्क के आलोक्य में इस अपील प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

> **''क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 18/02/2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है?''**

निष्कर्ष के आधार

06. अपीलार्थी के अपील के आधारों व तर्कों के परिप्रेक्ष्य में देखे तो अभियोजन का संपूर्ण मामला मुख्यतः पीड़िता ज्योति कर्ष (अ०सा० 1), उसकी माता निर्मला कर्ष (अ०सा० 2) तथा उसके भाई

प्रदीप कर्ष (अ०सा० 3) तथा उसके पिता पुरूषोत्तम लाल कर्ष (अ०सा० 4) के कथनों पर आधारित है। प्रकरण में पीड़िता ज्योति कर्ष व उसके भाई प्रदीप कर्ष के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और पीड़िता की मां निर्मला कर्ष व पिता पुरूषोत्तम लाल कर्ष पीड़िता ज्योति के बताये अनुसार घटना के बारे में जानते हैं । अतः अपील के आधारों व तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इन साक्षियों ज्योति कर्ष, प्रदीप कर्ष के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना होगा ।

07. इस संबंध में देखे तो पीड़िता ज्योति कर्ष अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि घटना के समय रात्रि 9.00 बजे जब वह काम करके स्कूटी से अपने घर वापस आ रही थी तभी बिजली आफिस के पास अभियुक्त ने उसकी स्कूटी को पीछे से पकड़कर खींचा जिससे वाहन रूक गया और आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा, वह चिल्लाई और हाथ छुड़ाकर जाने लगी, उसी समय उसका भाई प्रदीप वहाँ आ गया और भाई को आते देख अभियुक्त भाग गया। इस कथन से स्पष्ट है कि कथित स्कूटी को बलपूर्वक खींचकर रोकने, हाथ पकड़ने एवं हाथ छुड़ाने की घटना उस समय तक समाप्त हो चुकी थी, जब प्रदीप

घटनास्थल पर पहुँचा। क्योंकि पीड़िता के अनुसार जब वह हाथ छुड़ाकर जाने लगी तब उसका भाई प्रदीप आ गया, इस तथ्य की पुष्टि प्रदीप कर्ष के मुख्य परीक्षण से भी होती है, उसने भी यही कहा कि जब वह पहुँचा तब उसकी बहन हाथ छुड़ाकर जाने लगी थी और अभियुक्त उसे देखकर वहाँ से चला गया। प्रदीप कर्ष ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में पहले यह स्वीकार किया कि जब वह ट्यूशन से लौट रहा था तब रामजी देवांगन के घर के पास उसकी बहन एवं अभियुक्त दोनों खड़े थे, तुरंत उसने स्वतः कथन किया कि अभियुक्त स्कूटी पकड़कर खींच रहा था। किन्तु यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसकी बहन ज्योति खड़ी हुई थी तथा अभियुक्त स्कूटी में बैठा हुआ था। यदि अभियुक्त वास्तव में स्कूटी को पीछे से बलपूर्वक खींच रहा था, तब उसका स्कूटी पर बैठा होना तथा पीड़िता ज्योति का अलग खड़ा होना प्रदीप के मुख्य परीक्षण के कथन एवं अभियोजन के मूल कथानक से मेल नहीं खाता। यह महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगति है, जो घटना के वास्तविक स्वरूप को संदेहास्पद बनाता है।

08. अभियोजन के पक्ष का परीक्षण सामान्य मानवीय आचरण एवं घटना के भौतिक घटनाक्रम की दृष्टि से परीक्षण करने पर पाते हैं कि अभियोजन के अनुसार पीड़िता चलती हुई स्कूटी पर थी और अभियुक्त ने पीछे से स्कूटी पकड़कर उसे बलपूर्वक खींचा। यदि ऐसा हुआ होता, तो स्वाभाविक रूप से या तो स्कूटी का संतुलन बिगड़ता, अथवा पीड़िता उसे नियंत्रित कर रोकती। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षित था कि अभियोजन स्पष्ट करता कि स्कूटी किस अवस्था में रुकी, क्या वह स्टैंड पर खड़ी की गई, क्या पीड़िता वाहन से उतर चुकी थी अथवा वाहन गिर गया था, किन्तु अभियोजन के किसी भी साक्षी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट एवं सुसंगत विवरण नहीं दिया है । इसके विपरीत साक्षी प्रदीप कर्ष अ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण के अनुसार जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब उसकी बहन खड़ी थी तथा अभियुक्त स्कूटी पर बैठा हुआ था। अभियोजन यह स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल रहा है कि चलती हुई स्कूटी को पीछे से पकड़कर रोकने के तुरंत बाद घटनास्थल की स्थिति इस प्रकार कैसे परिवर्तित हो गई, यह असंगति अभियोजन द्वारा वर्णित घटना के मूल घटनाक्रम को ही संदेहास्पद बनाती है।

09. साक्षी प्रदीप कर्ष अ०सा० 3 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त उसे देखकर अपनी गाड़ी लेकर चला गया तथा उसी समय उसकी बहन भी अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई । इसके तत्काल बाद कथन किया है कि उसके वहां पहुंचने पर उसने अपने बहन से बातचीत की उसके बाद वह दोनो घर आ गये । आगे यह भी स्वीकार करता है कि घटना स्थल पर उसकी बहन ने घटना के संबंध में कोई बात नहीं बतायी। यदि वास्तव में उसकी बहन के साथ तत्काल पूर्व छेड़छाड़ हुई होती, तो सामान्य मानवीय आचरण यही होता कि भाई तत्काल उससे घटना की जानकारी लेता तथा बहन तत्काल पूरी घटना बताती। अभियोजन के साक्षियों में ऐसा कोई स्वाभाविक व्यवहार परिलक्षित नहीं होता, यह भी अभियोजन की कहानी को संदेहास्पद बनाता है।

10. पीड़िता ज्योति अ०सा० 1 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका पुराना जान पहचान है, आरोपी उसके घर आना जाना करता था । प्रदीप कर्ष अ०सा० 3 ने भी स्वीकार किया है कि आरोपी उसका दोस्त था और आरोपी का उसके घर आना जाना

होता था । पीड़िता की मां निर्मला कर्ष अ०सा० 2 ने प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है, उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त उसके पुत्र का मित्र था, उसका उनके घर आना–जाना था तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवार के सदस्य अभियुक्त के साथ आते–जाते थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री एवं अभियुक्त एक–दूसरे को जानते थे तथा रास्ते में मिलने पर बातचीत भी करते थे। इन स्वीकारोक्तियों से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त एवं पीड़िता पूर्व से परिचित थे तथा उनके बीच सामान्य परिचय एवं बातचीत थी और कहीं रास्ते में मिलने पर भी बातचीत करते थे ।

11. प्रतिपरीक्षण में निर्मला कर्ष ने यह भी स्वीकार किया कि जिस स्थान पर घटना होना बता रही है, वहाँ उसकी पुत्री एवं अभियुक्त खड़े थे और उसी समय प्रदीप ने दोनों को देखा। तत्पश्चात उसने स्वतः कथन किया कि पुत्री के चिल्लाने पर प्रदीप वहाँ पहुँचा। किन्तु न तो पीड़िता ज्योति के कथन से और न ही प्रदीप कर्ष के कथन से यह स्थापित होता है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रदीप घटना स्थल

पहुँचा था। अतः यह स्वतः कथन अभियोजन के अन्य साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता।

12. पीड़िता ज्योति कर्ष अ०सा० 1 ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इनकार किया कि वह अभियुक्त के साथ आती –जाती थी अथवा उससे बातचीत करने के लिए स्वयं रुकी थी, किन्तु साथ ही उसने स्वीकार किया कि उसी दौरान उसका भाई प्रदीप वहाँ आ गया। उसने यह भी कहीं नहीं कहा कि उसने घटनास्थल पर तत्काल अपने भाई को पूरी घटना बताई थी। यह भी एक अस्वाभाविक परिस्थिति है, जो अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।

13. विवेचक प्रभात कुमार साहू अ०सा० 5 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है घटना स्थल आम रास्ता है एवं वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है । यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल के पास रामजी देवांगन का जनरल स्टोर्स है और यह भी स्वीकार किया है कि उसनं पंचराम साहू, निशा शेख व रामजी देवांगन को साक्षी नहीं बनाया है । घटना स्थल के नजरी नक्शा प्र०पी० 3 के अनुसार घटना स्थल के आस पास निशा शेख व पंचराम साहू का मकान है ।

विवेचक ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल के आसपास रहने वाले किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया। यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण के सभी साक्षीगण पीड़िता ज्योति कर्ष के रिश्तेदार हैं । घटना स्थल सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड के समीप स्थित है तथा उसके आसपास अनेक मकान एवं दुकानें स्थित हैं, स्वयं अभियोजन के साक्षियों ने स्वीकार किया है कि वहाँ लोगों का आना – जाना रहता है। यदि अभियोजन के अनुसार रात्रि में सार्वजनिक मार्ग पर चलती हुई स्कूटी को बलपूर्वक खींचकर, रोककर हाथ पकड़ने की घटना हुई और पीड़िता चिल्लाई, तो आसपास के किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा घटना देखे जाने की पर्याप्त संभावना थी।

14. विवेचक ने न तो आसपास के निवासियों के कथन लिए, न ही किसी दुकानदार अथवा अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी बनाया। उसने इस संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। इस प्रकार उपलब्ध सर्वोत्तम स्वतंत्र साक्ष्य संकलित न करना विवेचना की गंभीर कमी है। यह कमी अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है,

क्योंकि दोषसिद्धि पूर्णतः पारिवारिक एवं हितबद्ध साक्षियों के कथनों पर आधारित रह जाती है।

15. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई साक्षी पीड़िता का रिश्तेदार है मात्र इस आधार पर उसका साक्ष्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु जब अभियोजन केवल निकट रिश्तेदार साक्षियों पर आधारित हो तथा स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद विवेचना में उसे संकलित न किया गया हो और साथ ही संबंधी साक्षियों के कथनों में भी ऐसे महत्वपूर्ण विरोधाभास हों जो अभियोजन की मूल कहानी को प्रभावित करते हों, तब न्यायालय को अत्यधिक सावधानी से साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।

16. प्रकरण में पीड़िता ज्योति कर्ष व उसके साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जो प्रकरण के मूल को प्रभावित करते हैं और उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाते हैं । विचारण न्यायालय ने पीड़िता ज्योति कर्ष व प्रदीप कर्ष के परीक्षण में विरोधाभासों तथा प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है न ही उसके प्रभाव पर कोई निष्कर्ष दिया है । प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध हो सकते थे उसके बाद भी

कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है । उपरोक्त समस्त साक्ष्यों व परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन धारा 341 एवं 354 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त महत्वपूर्ण विरोधाभासों, स्वाभाविक मानवीय आचरण के अभाव तथा विवेचना की गंभीर कमियों पर समुचित विचार किए बिना अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अभियोजन का प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण संदेह का लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

17. उपरोक्त विवेचक का निष्कर्ष है कि अपीलार्थी अपने अपील के आधारों को प्रमाणित करने में सफल रहा है । अतः विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 18/02/2025 द्वारा की गयी अपीलार्थी/आरोपी की दोषसिद्धि व दिये गये दण्डादेश तथ्य एवं विधि के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी/आरोपी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील **स्वीकार** की जाती है ।

18. आरोपी/अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अर्थदण्ड की राशि अदा किया जाना दर्शित हो रहा है अतः अर्थदण्ड की राशि आरोपी को वापस लौटायी जावे ।

19. आरोपी/अपीलार्थी द्वारा धारा 437(क) दं०प्र०संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत/मुचलका निर्णय दिनांक से छः माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा और अन्य जमानत/मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं ।

20. निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस प्रेषित किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षित कर घोषित किया गया ।

सही/–
(अशोक कुमार लाल)
अपर सत्र न्यायालय भाटापारा
के अतिरिक्त न्यायाधीश,
बलौदाबाजार (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(अशोक कुमार लाल)
अपर सत्र न्यायालय भाटापारा
के अतिरिक्त न्यायाधीश,
बलौदाबाजार (छ.ग.)